न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपीडी/टिए/4351/2004/बीकानेर

रामप्यारी पुत्री हरलाल, जाति विश्नोई, निवासी गोडू, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर

.....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य

.....रैस्पो0

खण्ड – पीठ
श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री महावीर सिंह, सदस्य

उपस्थितः–

श्री मनीष पाण्ड्या, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरुका, रा0 उप अधिवक्ता रैस्पो0

निर्णय

दिनांकः – 10–01–2019

हस्तगत अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "अधिनियम, 1955") के अंतर्गत अतिरिक्त आयुक्त एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा प्रकरण अपील संख्या 54/2003 शीर्षक रामप्यारी बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 24–06–2004 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादिया/अपीलार्थी द्वारा सहायक आयुक्त, उप निवेशन, कोलायात के न्यायालय में अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 125 व 136 के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया था कि चक 3 पी.एस.डी. के मुरब्बा नम्बर 84/18 के किला नम्बर 4 से 7, 14 से 16 की 7 बीघा तथा चक नम्बर 4 पी.एस.डी. के मुरब्बा नम्बर 84/18 के किला नम्बर 1 से 3, 8 से 13, 17 से 20 की 13 बीघा, चक नम्बर 3 जी.एम.आर. के मुरब्बा नम्बर 84/17 की 8 बीघा कुल 28 बीघा भूमि सम्वत् 2012 से पूर्व वादी की भौतिक धारणा में चली आ रही है, अतः वादीया के पक्ष में खातेदारी दी जाए। वादपत्र में आगे अंकित किया गया कि वादिनी के पिता हरलाल के नाम समरी सैट्लमैंट से पूर्व 230 बीघा भूमि थी जिसमें से 28 बीघा भूमि वादिया को दी गई थी। बन्दोबस्त में इसके नवीन नम्बरान कायम किए गए किन्तु भूमि 201 बीघा 18 बिस्वा रह गई और इस प्रकार 28 बीघा भूमि कम कर दी गई।

3– परीक्षण न्यायालय सहायक आयुक्त, उप निवेशन, बीकानेर द्वारा वादिया के वाद को दिनांक 24–12–1988 को स्वीकार कर वादिया को गैर खातेदार घोषित किया गया। उक्त निर्णय दिनांक 24–12–1988 के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल में रेफरेन्स प्रस्तुत होने पर माननीय मण्डल द्वारा

दिनांक 31–3–1994 से रेफरेन्स को स्वीकार कर प्रकरण को सहायक आयुक्त, उनविेशन को दिशा निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया। सहायक उप निवेशन आयुक्त ने इसकी अनुपालना में निर्णय दिनांक 7–3–2003 से वादिया का वाद खारिज किया, इसके विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अतिरिक्त आयुक्त एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24–06–2004 से अपील को खारिज किया गया है, जिसके विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

4– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

5– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी/वादी ने बहस में निवेदन किया कि वादिया द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए वादपत्र को दिनांक 24–12–1988 को परीक्षण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर वादिया के पक्ष में गैर खातेदारी के आदेश दिए गए थे, जिसके विरुद्ध जिला कलक्टर एवं उपायुक्त उप निवेशन, बीकानेर द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में रेफरेन्स संख्या 28/1992 अभिशंषित किया गया था। उक्त रेफरेन्स को माननीय मण्डल के निर्णय दिनांक 31–3–1994 से निर्णित करते हुये प्रकरण को निर्देशों के साथ सहायक आयुक्त, उपनिवेशन को प्रति प्रेषित किया गया था। परीक्षण न्यायालय के स्तर पर प्रकरण में विधिवत विवाद्यक कायम किए गए। वादिया द्वारा अपने वाद के समर्थन में जो साक्ष्य प्रस्तुत की उसमें खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015–18, नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2024 तथा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई। इस साक्ष्य से स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्नगत भूमि सम्वत् 2012 से पूर्व से ही वादिया के कब्जे काश्त में चलती आ रही है और इस प्रकार से वादिया को अधिनियम, 1955 की धारा 15–एएए के तहत खातेदारी प्राप्त हो जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 में धारा 15–एएए की गलत प्रकार से व्याख्या की है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि वादपत्र में स्पष्ट रुप से ये भी अंकित किया गया है कि वादिया के पिता द्वारा वादिया के विवाह के अवसर पर वादिया को जो भूमि दी गई, उस पर वादिया का कब्जा काश्त चला आ रहा है, जब कि न्यायालय ने अपने निर्णय में गलत प्रकार से अंकित किया है कि वादिया के पिता को पुख्ता बन्दोबस्त में भूमि प्राप्त हुई उसमें वादिया को कितना हिस्सा है। इसी प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 3 में सम्भावना के आधार पर वादिया के पति के नाम भूमि होना माना है, जो कि गलत है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी न्यायिक विवेक का पूर्ण रुप से सदुपयोग किए बिना, परीक्षण न्यायालय के निर्णय को अविधिक रुप से पुष्ट किया है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जा कर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किया जाए और वादिया/अपीलार्थी को प्रश्नगत 28 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए।

6– रैस्पो0/प्रतिवादी पक्ष के योग्य राजकीय उप अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वादिया प्रश्नगत भूमि की किसी प्रकार से काबिज काश्तकार, टीनैण्ट नहीं है और टीनैण्ट नहीं होने की स्थिति में वादिया के पक्ष में किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। गैर खातेदारी भूमि पर खातेदारी का वाद चलने योग्य ही नहीं रहा है। वादीया द्वारा खातेदारी प्रदान किए जाने व वादिया द्वारा प्रश्नगत भूमि भू प्रबन्ध से पूर्व अपने पिता

के नाम दर्ज होने का कथन किया है किन्तु पुख्ता सैटलमैंट में प्रश्नगत भूमि वादिया के पिता के नाम खातेदारी में रही हो, ऐसा कोई साक्ष्य वादिया की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादिया द्वारा ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि वादिया के पिता के कितने वारिस रहे हैं। वादिया शादी हो कर अपनी ससुराल में है और वादिया द्वारा अपने पति के पास कितनी भूमि है, का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जब कि वास्तव में वादिया व उसका पति एक ही परिवार की एक यूनिट हैं और उनकी धारणा में भूमि व वादिया को उसके पिता से मिली भूमि सीलिंग सीमा से अधिक भूमि हो जाती है। अतः इस प्रकार की स्थिति में वादिया टीनैण्ट नहीं रही होने से वादिया के पक्ष में खातेदारी घोषणा नहीं की जा सकती है। योग्य राजकीय अधिवक्ता का बहस में ये भी तर्क रहा है कि सम्वत् 2012 में वादिया के पिता के नाम 230 बीघा रकबा कच्चे बीघों में था और विधिवत रुप से जो रिकार्ड तैयार किया गया वह 202 बीघा पक्के बीघों में है, जब कि 230 बीघा कच्चे के लगभग 138 बीघा पक्के होते हैं, अतः वादिया के पिता के पक्ष में रकबा कम होने के बजाए बढा हुआ प्राप्त हुआ है। योग्य राजकीय अधिवक्ता ने बहस में अन्त में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व तथ्यों के आधार पर दिनांक 7-3-2003 को नियमानुकूल निर्णय पारित किया है और निर्णय दिनांक 24-06-2004 से इस निर्णय को पुष्ट करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं की है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती होने से, आर.बी.जे. (14) 2007 पेज 35 राज0 उच्च न्यायालय, आर.बी.जे. (23) 2016 पेज 482 डी0बी0 माननीय राजस्व मण्डल में दिए मतानुसार समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है, अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

7- हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन/अध्ययन किया एवं उद्धरित न्याय दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया।

8- पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वादिया/अपीलार्थी द्वारा वादपत्र मुख्य रुप से इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादपत्र में निहित भूमि रकबा 28 बीघा पर वादिया सम्वत् 2012 से पूर्व से धारणा में है, अतः वादिया के पक्ष में खातेदारी उद्घोषणा की जाए। वादिया/अपीलार्थी का अन्य तर्क ये भी रहा है कि वादिया के पिता हरलाल के पास बन्दोबस्त के समय 230 बीघा भूमि थी जिसके नवीन नम्बर 201 बीघा 18 बिस्वा भूमि के बनाए गए हैं और इस प्रकार करीब 28 बीघा भूमि कम की गई है। वादिया द्वारा प्रस्तुत किए गए वादपत्र में परीक्षण न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय दिनांक 24-12-1988 को निरस्त करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष जिला कलक्टर द्वारा रेफरेन्स संख्या 28/1992 प्रस्तुत किया गया जिसमें निर्णय दिनांक 31-3-1994 से प्रकरण को परीक्षण न्यायालय सहायक आयुक्त, उप निवेशन को निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया गया था। प्रकरण के राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से सुस्पष्ट है कि पर्चा खतौनी सरसरी बन्दोबस्त में आराजी कुल किता 5 रकबा 230 बीघा "हरलाल पुत्र गुलाराम जाति बिशनोई सा0 देह गैर खातेदार" अंकित है। जहॉ तक वादिया द्वारा अपने पिता की भूमि भू प्रबन्ध में नवीन खसरा नम्बरान 37, 38, 46, 49, 53,

54, 56, 57, 95, 98, 106, 107, 366 कुल रकबा 201 बीघा 8 बिस्वा बनाये जाने और रकबा 28 बीघा कम करने का आक्षेप लिया है तो इसके सम्बन्ध में राज्य पक्ष का यह तर्क उपयुक्त प्रतीत होता है कि पूर्व में 230 बीघा कच्चे बीघा में था, क्योंकि पर्चा खतौनी सरसरी बन्दोबस्त में भूमि का माप बीघो में हलों में अंकित है और नवीन बन्दोबस्त में 202 बीघा पक्के में दर्ज है जबकि साबिक 230 बीघा खाम के लगभग 138 बीघा पक्के होते हैं। राज्य पक्ष का ये तर्क भी हमें उपयुक्त प्रतीत होता है कि नियमित सैटलमैंट सम्वत् 2017 में प्रारम्भ होने के बाद पक्षकारान को कच्ची पक्की पर्ची जारी की गई थी और मिसल बन्दोबस्त को सम्वत् 2024 में अंतिम रुप दिया गया। पर्चा लगान पर वादिया के पिता के अंगूठा/हस्ताक्षर होना भी राज्य पक्ष की ओर से जबाब में बताया गया है। अतः वादिया का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि उसके पिता के रकबे को कम किया गया हो और उसके पिता को इसका किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहा हो।

9– वादिया द्वारा प्रश्नगत 28 बीघा भूमि पर अपना सम्वत् 2012 से पूर्व का कब्जा होना बताते हुये खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है, जब कि राज्य पक्ष की ओर से जबाब प्रस्तुत किया गया है कि वादिया का सम्वत् 2012 से किसी प्रकार का कब्जा नहीं है और ना ही उसके द्वारा किसी प्रकार का लगान आदि ही जमा कराया है। साथ ही ये भी अंकित किया है कि वादिया व उसके पति से प्राप्त भूमि को मिलाने पर वादिया व उसके पति की धारणा में सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होती है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजात का अध्ययन करने पर यह तथ्य बखूबी पुष्ट होता है कि वादिया के पक्ष में सम्वत् 2012 से पूर्व का कब्जा काश्त होने सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वादी द्वारा धारा 15–एएए का हवाला अपने पक्ष में दिया है किन्तु धारा 15–ककक के तहत खातेदारी घोषणा के लिए वादी को सम्वत् 2012 से उस भूमि पर अपना लगातार कब्जा और लगान का भुगतान करना दिखाना होगा। साथ ही हस्तगत प्रकरण में सुस्पष्ट है कि वादी प्रश्नगत भूमि पर टीनैण्ट के रुप से दर्ज नहीं है और इस प्रकार की स्थिति में उसके पक्ष में खातेदारी घोषणा किया जाना उचित नहीं है। आर0आर0डी0 1995 पेज 700 पर मत व्यक्ति किया है :–

> Rajasthan Tenancy Act, Sections 15AAA and 41 - For the grant of khatedari rights u/s 15AAA, the ptff. has to show his continuous possession over the land since Svt. 2012 and the payment of rent - Documentary evidence not produced - Khatedari rights do not accrue in gair khatedari lands by virtue of Sec. 41, R. T. Act - The non-petitioner remained absent.

10. उपरोक्त विवेचन व विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में सुस्पष्ट है कि वादिया प्रश्नगत भूमि की टीनैण्ट नहीं रही है और इस प्रकार की स्थिति में अधिनियम, 1955 की धारा 15–एएए के तहत वादिया के पक्ष में खातेदारी घोषणा का कोई प्रकरण नहीं बनता है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में विधिवत रुप से तनकियात कायम करते हुये, राजस्व रिकार्ड व विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय दिनांक 07–03–2003 पारित किया है, जिसे निर्णय दिनांक 24–6–2004 से पुष्ट करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने किसी प्रकार की विधिक, तथ्यात्मक या अभिलेख सम्बन्धी भूल नहीं की है।

अतः न्याय दृष्टान्त आर.बी.जे. (14) 2007 पेज 35 राज0 उच्च न्यायालय, आर.बी.जे. (23) 2016 पेज 482 डी0बी0 माननीय राजस्व मण्डल के परिप्रेक्ष्य में समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं है।

11– फलतः अपील अपीलार्थी सारहीन पाए जाने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष